

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

संकल्प

विषय: बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु 'एविएशन विजन एवं पॉलिसी' तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर ₹ 86.17 लाख + लागू करकी सेवा शुल्क पर मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा प्राप्त करने के संबंध में।

सिविल विमानन विभाग राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, उपलब्ध विमानन अवसंरचना के समुचित उपयोग तथा विमानन सेवाओं के विस्तार से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। बिहार राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास की व्यापक संभावनाओं तथा राज्य में उपलब्ध एवं प्रस्तावित विमानन अवसंरचना के समुचित एवं प्रभावी उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्पष्ट एवं व्यवस्थित नीतिगत दिशा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से राज्य में विमानन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध एवं प्रस्तावित अवसंरचना, संस्थागत व्यवस्था, भावी आवश्यकताओं तथा विकास की संभावनाओं का समग्र आकलन करते हुए एक दीर्घकालिक "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" तैयार किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

2. राज्य में विमानन अवसंरचना के सुदृढीकरण की दिशा में सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना "उड़ान" के अंतर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मुजफ्फरपुर, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, एवं सहरसा हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है।

3. सोनपुर एवं अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा विमान रख रखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल {Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)} सुविधा तथा उड़ान प्रशिक्षण संगठन {(Flying Training Organisation (FTO))} विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राज्य में उपलब्ध अन्य विमानन अवसंरचना एवं संसाधनों के समुचित उपयोग, विमानन सेवाओं के विस्तार, निवेश आकर्षित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में तैयार की जाने वाली "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" में राज्य के विमानन क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य, उपलब्ध विमानन अवसंरचना एवं संस्थागत व्यवस्था का समग्र अध्ययन करते हुए राज्य की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना है। इसके अंतर्गत राज्य में विमानन क्षेत्र के संभावित विकास क्षेत्रों की पहचान, उपलब्ध एवं प्रस्तावित हवाई अड्डों तथा हवाई पट्टियों के प्रभावी उपयोग, विमानन अवसंरचना के विकास, MRO एवं FTO जैसी गतिविधियों के विस्तार, विमानन सेवाओं की वृद्धि तथा निजी क्षेत्र से निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक रणनीति निर्धारित की जाएगी।



5. प्रस्तावित "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" के माध्यम से राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास के लिए चरणबद्ध एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने, विभिन्न विमानन परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करने तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग की समग्र रूपरेखा तैयार की जानी है। इसके साथ ही, विमानन क्षेत्र में निवेश, रोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों को बढ़ावा देने तथा राज्य की आर्थिक एवं पर्यटन संबंधी संभावनाओं के अनुरूप विमानन क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए आवश्यक नीतिगत दिशा निर्धारित की जाएगी।
6. उक्त कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" तैयार करने के लिए विशिष्ट परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है। परामर्शी संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले दस्तावेज में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, संबंधित विभागों/हितधारकों से प्राप्त सुझावों तथा राज्य की वर्तमान एवं भावी विमानन आवश्यकताओं को समुचित रूप से सम्मिलित किया जाएगा।
7. उक्त कार्य के लिए मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर परामर्शी सेवा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्ताव में कार्य का कार्य-क्षेत्र (Scope of Work), कार्य-पद्धति (Methodology), Deliverables तथा निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावित परामर्शी सेवा के लिए मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम द्वारा ₹86.17 लाख + लागू कर की सेवा शुल्क प्रस्तावित की गई।
8. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131ज़ (छ) में विहित प्रावधानों के अनुसार, कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं प्रस्तावित परामर्शी सेवा के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम से नामांकन के आधार पर परामर्शी सेवा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
9. तदोपरांत मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार राज्य के विमानन क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास हेतु 'एविएशन विजन एवं पॉलिसी' तैयार करने के लिए नामांकन के आधार पर ₹ 86.17 लाख + लागू कर की सेवा शुल्क पर मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
10. मंत्रिपरिषद् की उक्त स्वीकृति के अनुपालन में परामर्शी संस्था द्वारा उसके प्रस्ताव में उल्लिखित कार्य-क्षेत्र, कार्य-पद्धति, Deliverables तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
11. परामर्शी संस्था द्वारा तैयार किए गए प्रारूप का परीक्षण सिविल विमानन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा आवश्यक हो तो संबंधित विभागों एवं हितधारकों से प्राप्त सुझावों को समाहित करने के पश्चात् "एविएशन विजन एवं पॉलिसी" को अंतिम रूप दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

12. उक्त कार्य के लिए मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, गुरुग्राम को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित कार्य-क्षेत्र, कार्य-पद्धति, Deliverables, निर्धारित समय-सीमा एवं अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाएगा। इस संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यादेश/अनुबंध की कार्रवाई की जाएगी।

13. संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.09.2026 के मद संख्या-26 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)

सरकार के सचिव

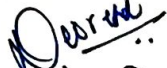
ज्ञापांक:- सि०वि०वि०(विविध)-05-30/2026- 1402 दिनांक- 06/10/2026
प्रतिलिपि:-वित्त (ई-गजट प्रशाखा) विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सिविल विमानन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- सि०वि०वि०(विविध)-05-30/2026- 1402 दिनांक- 06/10/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- सि०वि०वि०(विविध)-05-30/2026- 1402 दिनांक- 06/10/2026
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, विधि विभाग/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार/उत्तरदायी प्रबंधक, वायुयान संगठन इकाई एवं उत्तरदायी प्रबंधक, बिहार उड्डयन संस्थान, सि०वि०वि० को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- सि०वि०वि०(विविध)-05-30/2026- 1402 दिनांक- 06/10/2026
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, सिविल विमानन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। श्री जोधबीर सचदेवा, एसोसियेट पार्टनर, बिजनस कन्सलटिंग, मेसर्स के०पी०एम०जी० इंडिया सर्विसेज एल०एल०पी०, बिल्डींग न०-10, फ्लोर-08, टावर-बी एवं सी डीएलएफ, साईबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम-122002


सरकार के सचिव